

प्रेस नोट दिनांक 16.06.2025

थाना कोतवाली जनपद-बरेली

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की निजता भंग, गलत टिप्पणी करने व समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले हैदरी दल बरेली नामक

इन्स्टाग्रामआईडी के 02 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 07.06.2025 को थाना कोतवाली जनपद बरेली में सूचना प्राप्त हुई थी कि विभिन्न सोशल मीडिया पर दो आईडी Sofiyan08 और Haidari dal Bly नामक इन्स्टाग्रामआईडी से प्रसारित वीडियो जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के युवक अपने ही समुदाय की युवतियों/महिलाओं को रोककर लोक-लज्जा परिधान व गैर धर्म के लोगों के साथ बातचीत करने और घूमने को लेकर अभद्रतापूर्ण comment कर रहे थे। इस वीडियो में महिलायें असहज प्रतीत हो रही थी। इन videos का संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 291/2025 धारा 353(2),196(1),79,126(2) बीएनएस में मुकदमा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया जो सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं को रोककर उनकी निजता का हनन कर रहे थे। उनके द्वारा 02 समुदायों के बीच भावनाओं को भड़काने एवं वैमनस्ता फैलाने का भी प्रयास किया गया जिसमें कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुकदमा पंजीकृत कर गहनता से जांच की गयी तो दिनांक 10.06.2025 को अभियुक्तगण 1.समीर रजा पुत्र गुड्डू नि0 ईंट पजाया चौराहा तहसीनी बिरियानी थाना बारादरी बरेली उम्र 25 वर्ष 2. शहबाज रजा उर्फ सूफियान पुत्र शमशेर अली नि0 मलपुर थाना भुता बरेली उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 16.06.2025 को गाँधी उद्यान से अभियुक्तगण 1. मौहम्मद जैश रिजवी पुत्र सईद उर्रहमान निवासी असलम कालोनी, बैरियर-2 पुलिस चौकी के सामने पीलीभीत बाईपास रोड थाना इज्जतनगर जनपद बरेली उम्र करीब 23 वर्ष व 2. शानू पुत्र मोहम्मद अफरोज निवासी मोहल्ला लोधीपुर बहेड़ी थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 20 वर्ष को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की गयी तथा मोबाइल फोन चैक किये गये तो haidari Dal नाम से whatsapp व अन्य सोशल मीडिया पर group व chennals व Id,s एक्टिव पायी गयी। इसके उपरान्त अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.मौहम्मद जैश रिजवी पुत्र सईद उर्रहमान निवासी असलम कालोनी, बैरियर 2 पुलिस चौकी के सामने पीलीभीत बाईपास रोड थाना इज्जतनगर जनपद बरेली उम्र करीब 23 वर्ष मो0नं0 9368421035
- 2.शानू पुत्र मोहम्मद अफरोज निवासी मोहल्ला लोधीपुर बहेड़ी, थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 20 वर्ष मो0नं0 8859702461

पूछताछ का विवरण:-

1 अभियुक्त मौहम्मद जैश रिजवी पुत्र सईद उर्रहमान ने पूछताछ में बताया कि मुझे मुफ्ती खालिद के द्वारा हैदरी दल ग्रुप में जोड़ा गया था, जिस पर हैदरी दल के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों के वीडियो डाले जाते हैं जिन्हें हम प्रसारित करते हैं। हैदरी दल के मुफ्ती खालिद द्वारा भेजे गये क्यूआर कोड पर मेरे द्वारा आन लाइन चंदा इकट्ठा किया जाता है तथा अभियुक्त शानू पुत्र मौहम्मद अफरोज से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैंने अपने नम्बर से हैदरी दल बरेली नाम से इन्स्टाग्राम पर पेज बनाया था जिसका मैं ग्रुप होल्डर हूँ। हैदरी दल ग्रुप पर मुस्लिम से सम्बन्धित पोस्ट डाले जाते हैं, जिन्हे मैं शेयर करता हूँ, जो पुलिस शिकायत होने पर मेरे द्वारा डिलीट कर दिये गये हैं।

बरामदगी:-

अभियुक्तगण के कब्जे से तीन अदद मल्टी मीडिया मोबाइल सेट बरामद किये गये।

अपराधिक इतिहास:-

1.मौहम्मद जैश रिजवी पुत्र सईद उर्रहमान-मु0अ0सं 0291/2025 धारा 353(2),196(1),79,126(2)/61(2) बीएनएस

2.शानू पुत्र मोहम्मद अफरोज-मु0अ0सं 0 291/2025 धारा 353(2),196(1),79,126(2)/61(2) बीएनएस

पुलिस टीम:-

- 1.जनपदीय एसओजी टीम
2. सर्विलांस सैल टीम बरेली
3. उ0नि0 श्री वीरभद्र सिंह थाना कोतवाली बरेली
4. हे0का0 70 जसवीर थाना कोतवाली बरेली
- 5.कां0 515 इरशाद अली थाना कोतवाली बरेली
6. कां0 3832 कपिल तोमर थाना कोतवाली बरेली